संख्या-151/2020/2652/26-3-2020-6(विविध)/2017

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर 2020

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-118/103/ ज0जा0वि0/2020-21, दिनांक-09.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर तहसील- महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-88/2017/ आर-1195/26-3-2017-6(विविध)/2017, दिनांक-01.06.2017 द्वारा जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-1552.05 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0-500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-81 के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु **द्वितीय किश्त के रूप में रू0-100.00 लाख (रू0-एक करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 तथा में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

(9)-उक्त धनराशि का भुगतान समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक-12.05.2020 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं से थर्ड पार्टी जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-869, दिनांक-27 नवम्बर, 2020 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

अशोक कुमार
विशेष सचिव

पृ0संख्या-151/2020/2652(1)/26-3-2020-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ, उ0प्र0।
8- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।